न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 7247-PBR/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–10–2016 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 143 / बी–103 / 2015–16.

श्री सतीश खण्डेलवाल पिता मामराज खण्डेलवाल
निवासी दुकान नम्बर 74 शिवाजी मार्केट इतवारा बाजार
होशंगाबाद तहसील व जिला होशंगाबाद

.... आवेदक

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपपंजीयक होशंगाबाद
2–मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद होशंगाबाद
3–श्री रामनारायण टहलानी पिता श्री सेवाराम टहलानी
निवासी सिंधी कालोनी कृष्णापुरी होशंगाबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद

.... अनावेदकगण

....

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0पी0पालीवाल, अभिभाषक –अनावेदक कमांक 1 व 2
श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक – अनावेदक कमांक 3

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/12/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे आगे केवल ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 56(4) के अन्तर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वरिष्ठ जिला पंजीयक द्वारा नगर पालिका होशंगाबाद का निरीक्षण करने के दौरान शिवाजी मार्केट की दुकान क्रमांक 75 का अनुबंध पत्र को न्यून मूल्यांकन पाये जाने पर प्रकरण दर्ज कर दिनांक 18–10–2016 को आदेश पारित कर कमी मुद्रांक शुल्क 42,478/– रुपये एवं अधिनियम की धारा 40(ख) के अन्तर्गत शास्ति रुपये 6,000/– कुल रुपये 48,478/– जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1997 में निष्पादित अनुबंध पत्र के 19 वर्ष पश्चात् निरीक्षण के आधार पर न्यून मूल्यांकित मानने में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है । यह भी कहा गया कि नगर पालिका और आवेदक के पक्ष में निष्पादित दस्तावेज निजी दस्तावेज है और जो कि पूर्ण रूप से स्टापित है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को 5 वर्ष के अन्दर स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु इस प्रकरण में 19 वर्ष पश्चात् कार्यवाही की गई है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

4– अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों के अनुरूप होने से स्थिर रखा जाये ।

5– अनावेदक क्रमांक 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया जाये ।

6– उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदक कमांक 2 नगर पालिका एवं अनावेदक कमांक 3 रामनारायण टहलानी के मध्य प्रश्नाधीन दुकान के संबंध में पट्टा निष्पादित हुआ है । अतः उक्त पट्टा विलेख पर अधिनियम की सूची 1 (क) के अनुच्छेद 33 (ग) के अनुसार मुद्रांक शुल्क देय है । चूंकि अनावेदक कमांक 3 रामनारायण टहलानी द्वारा प्रश्नाधीन दुकान का अन्तरण आवेदक के पक्ष में किया गया है अर्थात आवेदक के पक्ष में पट्टा अन्तरण विलेख निष्पादित किया गया है, इसलिए उक्त पट्टा अंतरण विलेख पर अधिनियम की अनुसूची 1 (क) के अनुच्छेद 63 के अनुसार वही शुल्क देय है, जो उस सम्पत्ति के अन्तरण की विषय–वस्तु है, बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र पर लगता है । अतः कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रश्नाधीन दस्तावेज की विषय–वस्तु को दृष्टिगत रखते हुए बाजार मूल्य रूपये 2,48,000/–निर्धारित कर पट्टा विलेख पर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 18,968/– एवं पट्टा अन्तरण विलेख पर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 23,510/–रूपये तथा आवेदक द्वारा कर अपवंचन किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 40 (ख) के अन्तर्गत अर्थण्ड की राशि रूपये 6,000/– कुल रूपये 48,478/– जमा करने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.